संख्या-14/2025/139/2025-002-27-10002(002)/7/2024-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 **लखनऊ : दिनांक - 05 फरवरी, 2025**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 सिंचाई निर्माण कार्य पूंजी लेखा के लेखाशीर्षक 4702 के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 के मद की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-022/नलकूप/बजट/टी.एण्ड पी., दिनांक 02.01.2025 एवं पत्रांक-जी-67/नलकूप/बजट/टी.एण्ड पी., दिनांक 21.01.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 सिंचाई निर्माण कार्य पूंजी लेखा के लेखाशीर्षक 4702 के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 के मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 8,00,00,000/- (रूपये आठ करोड़ मात्र) को निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत परियोजना/मद में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-100/2024/1745/24-001-27-10002(002)/7/2024-10, दिनांक 26.06.2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 यथासंशोधित शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित शर्तों /प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) साथ ही टी0 एण्ड पी0 के प्रश्नगत मदों में सामग्री का क्रय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के आलोक में किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4702008000301 (नवीन सम्पूर्ति)

क्र0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	094	4702008000301 नवीन सम्पूर्ति	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	95,00,000 (रुपये पंचानबे लाख मात्र)
2	094	4702008000301 नवीन सम्पूर्ति	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2,90,00,000 (रुपये दो करोड़ नब्बे लाख मात्र)
	कुल			**3,85,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचासी लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4702008000302 (मरम्मत)

क्र0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	094	4702008000302 मरम्मत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
2	094	4702008000302 मरम्मत	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2,90,00,000 (रुपये दो करोड़ नब्बे लाख मात्र)
	कुल			**4,10,00,000 (रुपये चार करोड़ दस लाख मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 4702008000303 (गाड़ी भाड़ा)

क्र0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	094	4702008000303 गाड़ी भाड़ा	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
2	094	4702008000303 गाड़ी भाड़ा	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
	कुल			**5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)**

महायोग	**8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या-14/2025/139(1)/2025-002-27-10002(002)/7/2024-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) संबंधित मुख्य अभियन्ता (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, द्वारा- प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(8) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(11) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।